ई-आफिस सं0- 1700128/2023
संख्या- 2/2023/537-57-2023-504-2023

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी/
आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ : दिनांक मार्च, 2023

विषय:- धर्मार्थ कार्य निदेशालय के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी के पत्र संख्या-229/ध0का0वि0नि0/2022-23, दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं पत्र सं0- 246/ध0का0वि0नि0/2022-23, दिनांक 29 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें द्वारा धनराशि रू0 1000000.00 का भुगतान अनुदान संख्या-084 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-धर्मार्थ कार्य निदेशालय-42-अन्य व्यय के मद से तथा धनराशि रू0 2300000.00 का भुगतान अनुदान संख्या-084 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-धर्मार्थ कार्य निदेशालय-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के मद से तथा धनराशि रू0 2100000.00 का भुगतान अनुदान संख्या-084 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-धर्मार्थ कार्य निदेशालय-08-कार्यालय व्यय के मद में भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अगवत कराना है कि शासनादेश सं0- 606/57-2022-1146/2021, दिनांक 22 जून, 2022 द्वारा पूर्व निर्गत धनराशि रू0 13.00 लाख का उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ कार्य विभाग निदेशालय के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 54.00 लाख (रूपये चौवन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिस मद में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. उक्त धनराशि आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
3. जिस प्रयोजन से धनराशि निर्गत की जा रही है उस प्रयोजन के पूर्ण होने पर अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वारणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार वाराणसी से किया जायेगा तथा आहरित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2070000010300 (धर्मार्थ कार्य निदेशालय) के नामे डाला जायेगा।

क्र	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
2	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	23,00,000 (रुपये तेईस लाख मात्र)
3	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
			कुल महायोग	**54,00,000 (रुपये चौवन लाख मात्र)**

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-537-57-2023-504-2023, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10-अधिषाशी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।